जनवरी, 2021 से केन्द्रीय कर्मचारियों के डी.ए./ पेंशनरों के डी.आर. की दर 28 प्रतिशत निश्चित हुआ

नवम्बर, 2020 माह का सूचकांक जारी, कोरोना महामारी के कारण रोके गये डीए की दर में कुल 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

स्टाफन्यूज, 04 जनवरी, 2020. पहली जनवरी 2021 से केन्द्रीय कर्मचारियों के फ्रीज महंगाई भत्ते एवं पेंशनरों के फ्रीज महंगाई राहत में 11 प्रतिशत की वृद्धि तय हो गयी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डी.ए. तथा पेंशनरों के डी.आर. की दर जनवरी 2021 माह से 28 प्रतिशत पर पहुच गया जो कि अभी 17 प्रतिशत है।

कोरोना महामारी के कारण डी.ए./डी.आर. की वृद्धि पर रोक

इससे पहले जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जिसे मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूर भी कर लिया गया था। जिसका भुगतान बकाया सहित मार्च 2020 से होना था परन्तु कोरोना महामारी के कारण वित्तीय प्रबंधनो के उपायों के तहत मंहगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में वृद्धि पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी।

डी.ए./डी.आर. की वृद्धि पर रोक का विरोध

डी.ए./डी.आर. की वृद्धि पर 30 जून 2021 तक लगी रोक का अमूमन सभी कर्मचारी एवं पेंशनर संगठनों द्वारा विरोध किया गया। इस रोक के खिलाफ न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया गया परन्तु न्यायालय ने भी सरकार के फैसले के खिलाफ निर्णय देने से मना कर दिया था।

डी.ए./डी.आर. की स्थापित गणना पद्धति के अनुसार वृद्धि

केन्द्रीय कर्मचारियों के डी.ए. एवं पेंशनरों डी.आर. की गणना स्थापित पद्धति के अनुसार की जाती है। इसका संबंध लेबर ब्यूरो की ओर से प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस को घोषित औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता सूचकांक से है। पिछले 12 महीने के औसत 326.58 में 261.42 (सातवें वेतन आयोग में निर्धारित) से उपर की वृद्धि का प्रतिशत {(326.58-261.42)x 100/261.42} की गणना करने से सातवें वेतन आयोग के डी.ए/डी.आर. की गणना की जाती है जिसमें दशमलव के बाद के अंको को छोड़ने से डी.ए./डी.आर. की दर प्रतिशत निर्धारित होती है।

डी.ए./डी.आर. की वर्तमान दर 17 प्रतिशत

वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों के डी.ए. एवं पेंशनरों डी.आर. की दर 17 प्रतिशत है जो कि माह जुलाई 2019 से लागू है। जिसकी गणना माह जून, 2019 के सूचकांक के जारी होने के साथ निश्चित हो गई थी। 17 प्रतिशत की यह दर जुलाई, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक के लिए थी जिसे जनवरी, 2020 से बढ़ाया जाना था।

डी.ए./डी.आर. में माह जनवरी, 2020 से होनी वाली बढ़ोतरी पर रोक तथा जून, 2021 तक फ्रीज

डी.ए./डी.आर. में माह जनवरी, 2020 से बढ़ोतरी की जानी थी जिसकी गणना माह दिसम्बर, 2020 के उपभोक्ता सूचकांक पर निर्भर थी। स्थापित गणना एवं समयानुसार मार्च, 2020 माह में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी परन्तु इसके लिए व्यय विभाग द्वारा आदेश जारी होने से पूर्व ही कोरोना महामारी की आपदा को देखते हुए डी.ए./डी.आर. की बढ़ोतरी को जून, 2021 तक फ्रीज कर दिया गया।

जुलाई, 2020 से फ्रीज डी.ए./डी.आर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी संगणित

हालांकि केन्द्रीय कर्मचारियों के डी.ए. एवं पेंशनरों डी.आर. की दर को केन्द्र सरकार द्वारा फ्रिज कर दिया गया पर मंहगाई दर को मापने के लिए सूचकांको में बढ़ोतरी जारी रही और जून, 2020 के सूचकांक के जारी होते ही जुलाई, 2020 में रोके गये डी.ए./डी.आर. में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी जुड़ गयी तथा रोके गये डी.ए./डी.आर. में कुल 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज होकर फ्रीज डी.ए./डी.आर. की दर 24 प्रतिशत पर पहुँच गयी।

जनवरी, 2021 से फ्रीज डी.ए./डी.आर में 4 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी निश्चित

जुलाई, 2020 के समान ही जनवरी, 2021 को रोके गये डी.ए./डी.आर. में भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। बढ़ोतरी की दर को निश्चित करने के लिए दिसम्बर, 2020 के उपभोक्ता सूचकांक का जारी होना आवश्यक है जोकि 29 जनवरी, 2021 को जारी की जाएगी परन्तु नवम्बर, 2020 के उपभोक्ता सूचकांक के जारी होते ही जनवरी, 2021 से फ्रीज डी.ए./डी.आर में 4 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी निश्चित हो चुकी है। नई सिरिज की नवम्बर, 2020 की सूचकांक पिछले माह से 0.4 बढ़कर 119.9 जारी की गयी है।

नवम्बर, 2020 माह के सूचकांक को निर्धारित गुणांक से गणना करने पर पुराने सिरिज का सूचकांक 345 आता है। जिससे जनवरी, 2021 से डी.ए./डी.आर. में कितनी बढ़ोतरी होगी ये तय हो चुका है जिसके 3 अनुमान निम्नलिखित है:-

- अगर दिसम्बर, 2020 के सूचकांक में कोई बढ़ोतरी नहीं हो तो जनवरी, 2021 से डी.ए./डी.आर. की दर 28 प्रतिशत होगी।
- अगर दिसम्बर, 2020 के सूचकांक में अगर 2.7 की असम्भव सी कमी दर्ज हो तब भी जनवरी, 2021 से डी.ए./डी.आर. की दर 28 प्रतिशत होगी।
- इसी प्रकार अगर दिसम्बर, 2020 के सूचकांक में अगर 9.0 की असम्भव सी बढ़ोतरी दर्ज हो तब भी जनवरी, 2021 से डी.ए./डी.आर. की दर 28 प्रतिशत होगी।

जिसे स्टाफन्यूज द्वारा तैयार सारणी द्वारा समझा जा सकता है:—

Month	CPI (IW) Old Series	CPI (IW) NEW Series	Total of 12 Months	Twelve monthly Average	% increase over 115.76 for 6th CPC DA	% increase over 261.42 for 7th CPC DA
Dec,19	330	--	3809	317.42	174.20%	**21.42%**
4% hike in Dearness Allowance/Relief @ 21% approved from Jan, 2020						
3% hike in Dearness Allowance/Relief @ 24% accrued from Jul, 2020						
Jul,20	336	--	3936	328.00	183.34%	25.47%
Aug,20	338	--	3954	329.50	184.64%	26.04%
Sep,20	340	118.1	3972	331.00	185.94%	26.62%
Oct,20	344	119.5	3991	332.58	187.30%	27.22%
Nov,20	345	119.9	4008	334.00	188.53%	27.76%
First expectation – No increase/decrease in Dec, 2020 CPI(IW) Index						
Dec,20	345	119.9	4023	335.25	189.61%	28.24%
DA/DR Rate computed at 28%						
Second expectation – 2.7 point decrease in Dec, 2020 CPI(IW) Index						
Dec,20	338	117.2	4016	334.67	189.10%	28.02%
DA/DR Rate computed at 28%						
Second expectation – 9.0 point increase in Dec, 2020 CPI(IW) Index						
Dec,20	368	127.9	4046	337.17	191.26%	28.98%
DA/DR Rate computed at 28%						

जनवरी, 2021 से डी.ए./डी.आर की संगणित दर है महत्वपूर्ण

जनवरी, 2021 से गणना किये जाने वाले डी.ए./डी.आर. की दर है महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार द्वारा जून, 2021 तक डी.ए./डी.आर. की दर को फ्रीज किया गया है इस प्रकार जनवरी, 2021 को संगणित 28 प्रतिशत की दर से डी.ए./डी.आर. का भुगतान जुलाई, 2021 से किया जा सकता है। जुलाई, 2021 में डी.ए./डी.आर. में भी बढ़ोतरी होगी जिसके लिए जुलाई, 2021 में जारी उपभोक्ता सूचकांक की आवश्कता होगी एवं सितम्बर या अक्तूबर, 2021 में केन्द्र सरकार द्वारा जूलाई, 2021 की नई दर मंजूर की जा सकेगी। अत: अगर जून, 2021 के बाद अगर डी.ए./डी.आर. पर फ्रीज को केन्द्र सरकार द्वारा हटाया गया तो 28 प्रतिशत की दर से डी.ए./डी.आर. का भुगतान जुलाई, 2021 से किया जाएगा।

https://www.staffnews.in fb.com/cgenews @Staffnews_in